"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 185] रायपुर, सोमवार, दिनांक 6 मई 2013—वैशाख 16, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, कैपीटल काम्पलेक्स, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 मई 2013

क्रमांक 3691/डी. 121/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26-04-2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 17 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013

विषय सूची

खण्ड

अध्याय-एक
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.
3. कौशल प्राप्ति हेतु युवा का अधिकार.
4. कौशल विकास के अधिकार का प्रयोग करना.
5. जांच एवं प्रमाणन.

अध्याय-दो
राज्य प्राधिकरण एवं जिला प्राधिकरण का संगठन एवं संरचना

6. राज्य प्राधिकरण.
7. शासी परिषद्.
8. कार्यकारिणी समिति.
9. जिला प्राधिकरण.
10. शासी परिषद्, कार्यकारिणी समिति एवं जिला प्राधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल.

अध्याय-तीन
अधिनियम के अधीन प्राधिकरणों के कृत्य एवं उत्तरदायित्व

11. राज्य प्राधिकरण के कृत्य एवं उत्तरदायित्व.
12. शासी परिषद् के कृत्य एवं उत्तरदायित्व.
13. कार्यकारिणी समिति के कृत्य एवं उत्तरदायित्व.
14. राज्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कृत्य एवं उत्तरदायित्व.
15. जिला प्राधिकरण के कृत्य एवं उत्तरदायित्व.
16. शासी परिषद्, कार्यकारिणी समिति तथा जिला प्राधिकरण की बैठक हेतु गणपूर्ति.

अध्याय-चार
शिकायत निवारण (प्रतितोषण) तंत्र

17. शिकायतों का निवारण (प्रतितोषण) तथा पुनर्विलोकन.

अध्याय-पांच
वित्त

18. राज्य कौशल विकास निधि.
19. जिला कौशल विकास निधि.
20. राज्य तथा जिला कौशल विकास निधि की लेखा परीक्षा.

अध्याय-छः
विविध

21. कुशल व्यक्तियों की निर्देशिका.
22. राज्य के बाहर स्थित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता की अधिसूचना.
23. कौशलों में अनुसंधान एवं विकास.
24. उद्योगों के साथ सहयोग.
25. सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण.
26. कतिपय नियमों तथा विधियों की प्रयोज्यता.
27. नियमों तथा विनियमों को निर्मित करने की शक्ति.

अनुसूची.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 17 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत प्रत्येक युवा को, उनकी स्वयं की रूचि के किसी भी व्यवसाय में उनकी पात्रता तथा अभिवृत्ति (रूझान) के अनुरूप कौशल विकास के अवसर का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "खण्ड" से अभिप्रेत है सामुदायिक विकासखण्ड या आदिमजाति विकासखण्ड, यथास्थिति, जिसे ग्रामीण विकास या आदिमजाति विकास के प्रयोजनों के लिये राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किया गया हो;

(ख) "केन्द्र शासन" से अभिप्रेत है भारत सरकार;

(ग) "मुख्य कार्यपालन अधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य कौशल विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी;

(घ) "जिला प्राधिकरण" से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अधिसूचित जिला कौशल विकास प्राधिकरण;

(ङ) "जिला योजना समिति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-यघ में यथा परिभाषित जिला योजना समिति;

(च) "कार्यकारिणी समिति" से अभिप्रेत है शासी परिषद् की कार्यकारिणी समिति;

(छ) "शासी परिषद्" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण की शासी परिषद्;

(ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची;

(झ) "कौशल" से अभिप्रेत है राज्य प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त कौशल, जिसके लिए कोई व्यक्ति शिक्षा, पूर्व ज्ञान, अभिवृत्ति (रूझान), अनुभव, व्यवहार, परम्परा अथवा पारिवारिक व्यवसाय, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा पात्र हो, जो राज्य प्राधिकरण द्वारा मानकीकृत तथा मान्यता प्राप्त हो;

(ञ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य;

(ट) "राज्य प्राधिकरण" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किया जाने वाला छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण;

(ठ) "राज्य शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(ड) "तृतीय पक्ष मूल्यांकक" से अभिप्रेत है कौशल स्तरों का मूल्यांकक, जो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता से सम्बद्ध न हो जहां युवा कौशल स्तर के मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण ले रहे हों तथा जिसे राज्य प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार मान्यता प्रदान की गई हो;

(ढ) "प्रशिक्षण" से अभिप्रेत है कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना;

(ण) "व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति, संस्थान, उद्योग, सूक्ष्म या लघु उद्यम, व्यक्तियों का संगठन, शासकीय या गैर-शासकीय संगठन या कोई व्यवसाय, जिनके पास यथा विहित प्रशिक्षण देने की क्षमता हो और जो कौशल (लों) में प्रशिक्षण हेतु राज्य प्राधिकरण से पंजीकृत हो;

(त) "युवा" से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति जो राज्य के निवासी हों तथा जिनकी आयु कौशल विकास हेतु आवेदन की प्रस्तुति की तारीख पर 14 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक न हो.

कौशल प्राप्ति हेतु युवा का अधिकार.

3\. (1) अधिसूचना में यथा उल्लिखित ऐसी पात्रता रखने के अध्यधीन रहते हुए, राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित कौशलों में से अपनी अभिरुचि के व्यवसाय में कौशल प्राप्त करने हेतु किसी भी युवा को अवसर प्रदान करने से वंचित नहीं किया जायेगा.

(2) इस धारा में अंतर्विष्ट या इस अधिनियम के किसी प्रावधान के अधीन किसी बात के होते हुए भी, अभिरुचि के किसी व्यवसाय में कुशलता प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया माना जायेगा, यदि युवा तृतीय पक्ष मूल्यांकक द्वारा सफल घोषित नहीं किया गया है या संबंधित प्रशिक्षण को संतुष्टिपूर्वक पूर्ण करने में विफल रहता है:

परंतु युवा एक से अधिक कौशल विकास के लिए आवेदन कर सकेगा, यदि जिला प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण, यथास्थिति, ने आवेदन की प्रस्तुति के समय ऐसे कौशल (लों) में कौशल विकास के लिए सभी पात्र आवेदन निःशेष कर लिए हों.

कौशल विकास के अधिकार का प्रयोग करना.

4\. (1) कौशल विकास के अधिकार के प्रयोग में, कोई भी युवा, जिला प्राधिकरण को अथवा इस प्रयोजन हेतु राज्य प्राधिकरण द्वारा पदाभिहित किसी अधिकारी को इस अधिनियम की अनुसूची में यथा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकता है और जिला प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण द्वारा पदाभिहित अधिकारी व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता की पहचान करेंगे और आवेदन की प्राप्ति की तारीख से अधिकतम 90 दिनों की कालावधि के अंदर इस संबंध में आवेदक को सूचित करेंगे:

परंतु जहां इस उप-धारा के अधीन चिन्हांकित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता, खण्ड की सीमाओं के बाहर किंतु जिले के अंदर स्थित है तथा जिला प्राधिकरण की राय में, यदि व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता तथा आवेदक के सामान्य निवास के बीच की दूरी आवेदक के अपने निवास से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता तक आने-जाने के लिए उसकी क्षमता से बाहर है तो जिला प्राधिकरण, ऐसे निबंधनों पर जैसा कि जिला प्राधिकरण अवधारित करे, प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान आवास की सुविधा प्रदाय करने के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी आवश्यकता हो:

परंतु यह और कि जहां व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता जिले की सीमाओं के बाहर स्थित है, वहां जिला प्राधिकरण आवेदन को राज्य प्राधिकरण को भेजेगा, जो तत्पश्चात् जिस जिले में प्रशिक्षण के लिए चिन्हांकित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता स्थित हो, वहां के जिला प्राधिकरण से परामर्श करके, यथा आवश्यक व्यवस्था करेगा.

(2) इस धारा की उप-धारा (1) के अधीन जिला प्राधिकरण को किया गया आवेदन, आवेदक द्वारा उपांतरित किया जा सकेगा जहां जिला प्राधिकरण द्वारा पाया जाता है कि आवेदक उस कौशल से भिन्न कौशल के विकास के लिए उपयुक्त है जिसके लिए उसने आवेदन किया है, या जहां आवेदकों की न्यूनतम संख्या, इस प्रयोजन के लिए विनियम के अधीन यथा अधिसूचित ऐसे कौशल में प्रशिक्षण आरंभ करने हेतु उपलब्ध न हो.

जांच एवं प्रमाणन.

5. कौशल विकास के लिए नामांकित प्रत्येक युवा को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता केन्द्र में संबंधित प्रशिक्षण की संतोषजनक पूर्णता के पश्चात् तथा तृतीय पक्ष मूल्यांकक द्वारा परीक्षा लिए जाने एवं सफल घोषित करने के पश्चात् ही इस प्रकार का कौशल धारण करने के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जायेगा.

अध्याय-दो

राज्य प्राधिकरण एवं जिला प्राधिकरण का संगठन एवं संरचना

राज्य प्राधिकरण.

6. इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए राज्य में एक राज्य कौशल विकास प्राधिकरण होगा, जो राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के नाम से जाना जायेगा, जो एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी तथा जिस पर उक्त नाम से वाद लाया जा सकेगा अथवा वाद किया जा सकेगा:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) के अधीन एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास मिशन विघटित माना जायेगा तथा छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास मिशन की समस्त आस्तियां एवं दायित्व राज्य प्राधिकरण की आस्तियां एवं दायित्व माने जायेंगे:

परन्तु यह और कि छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास मिशन की भागिता पर या उस पर प्रोद्भूत कोई संविदात्मक बाध्यताएं (दायित्व), उनको सम्मिलित करते हुए जो कर्मचारियों से संबंधित हों, यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण की या उस पर प्रोद्भूत बाध्यताएं (दायित्व) समझी जायेंगी.

शासी परिषद्.

7. राज्य प्राधिकरण की गतिविधियों के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करने हेतु उसके द्वारा पालन की जाने वाली नीतियों पर दिशानिर्देश जारी करने के लिए निम्नलिखित संरचना के साथ एक शासी परिषद् (गवर्निंग काउंसिल) होगी :—

(क) (1) राज्य के मुख्यमंत्री (पदेन) अध्यक्ष होंगे;

(2) प्रभारी मंत्री—
(एक) तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन;
(दो) श्रम; और
(तीन) खेल एवं युवा कल्याण (पदेन) सदस्य होंगे;

(3) राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष (पदेन) सदस्य होंगे;

(4) राज्य शासन के मुख्य सचिव (पदेन) सदस्य होंगे;

(5) राज्य शासन के सचिव (चाहे किसी भी पदनाम से जाने जाएं), कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र (एलायड सेक्टर) विमानन, ऊर्जा, वित्त, वन, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा, उच्च

शिक्षा, आवास एवं पर्यावरण, उद्योग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा बायो टेक्नालॉजी, आंतरिक सुरक्षा, प्रसार एवं जनसंपर्क, खनिज, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, ग्रामोद्योग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, स्कूल शिक्षा, समाज कल्याण, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन, पर्यटन, नगरीय विकास, महिला एवं बाल विकास एवं युवा कल्याण विभागों के प्रभारी (पदेन) सदस्य होंगे;

(6) जिला प्राधिकरण के तीन अध्यक्ष चक्रानुक्रम से (पदेन) सदस्य होंगे; तथा

(7) राज्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सदस्य-सचिव होंगे.

(ख) खण्ड (क) में वर्णित पदेन सदस्यों के अलावा राज्य शासन द्वारा नामांकित निम्नलिखित सदस्य भी होंगे :—

(1) उद्योग, व्यवसाय एवं वाणिज्य क्षेत्र से तीन विख्यात व्यक्ति जिसमें से एक महिला होगी;

(2) कौशल विकास तथा आजीविका कार्यक्रम क्षेत्र से तीन विख्यात व्यक्ति जिसमें से एक महिला होगी;

(3) राज्य के तीन व्यक्ति जिसमें से एक महिला होगी, जिसका कौशल विकास में तात्विक योगदान रहा हो;

(4) तकनीकी, कृषि, चिकित्सा, व्यावसायिक तथा प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा संस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच व्यक्ति जिसमें से कम से कम एक महिला होगी;

(5) नि:शक्त युवाओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला विभिन्न रूप से शक्त, एक व्यक्ति, जो कौशल विकास में संलग्न हो;

(6) व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति; तथा

(7) राज्य के मान्यता प्राप्त युवा संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति.

(ग) राज्य विधान सभा के पांच सदस्य जिसमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रत्येक में से एक व्यक्ति, जो राज्य विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नामांकित किया जायेगा, (पदेन) सदस्य होंगे.

(घ) शासी परिषद्, केन्द्र शासन या राज्य शासन के विशेषज्ञ या अन्य अधिकारियों को इतनी संख्या में आमंत्रित कर सकेगी, जैसा कि वह ठीक समझे, जो उसकी राय में विचार-विमर्श करने में अपना योगदान दे सकते हों.

8. शासी परिषद् द्वारा बनाई गई नीतियों के कार्यान्वयन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी को मार्गदर्शन देने और निर्देशित करने तथा अपने निर्देशों के निष्पादन हेतु निम्नलिखित संरचना के साथ शासी परिषद् की एक कार्यकारिणी समिति होगी, अर्थात् :— **कार्यकारिणी समिति.**

(क) राज्य शासन के मुख्य सचिव (पदेन) अध्यक्ष होंगे;

(ख) राज्य शासन के सचिव (चाहे किसी भी पदनाम से जाने जाएं), कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र (एलायड सेक्टर), वित्त, उद्योग, श्रम, ग्रामीण विकास, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण, तकनीकी शिक्षा एवं जन शक्ति नियोजन, नगरीय विकास, महिला एवं बाल विकास एवं युवा कल्याण के प्रभारी (पदेन) सदस्य होंगे;

(ग) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक (पदेन) सदस्य होंगे;

(घ) धारा 7 के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (1) के अधीन राज्य शासन द्वारा नामांकित सदस्य में से एक सदस्य;

(ङ) धारा 7 के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (4) के अधीन राज्य शासन द्वारा नामांकित सदस्य में से दो सदस्य, जिसमें से एक महिला होगी;

(च) धारा 7 के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (6) के अधीन राज्य शासन द्वारा नामांकित सदस्य में से एक सदस्य;

(छ) राज्य प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी सदस्य-सचिव होगा.

जिला प्राधिकरण.

9. प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित संरचना के साथ एक जिला कौशल विकास प्राधिकरण होगा, अर्थात् :—

(1) जिला कलेक्टर (पदेन) अध्यक्ष होंगे;

(2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सदस्य होगा;

(3) राज्य प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य, सदस्य-सचिव होगा;

(4) उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति;

(5) तकनीकी, कृषि, चिकित्सा, व्यावसायिक तथा प्रबंधन शिक्षा में लगे हुए शिक्षण संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति जिनमें से एक विभिन्न रूप से शक्त व्यक्ति होगा;

(6) जिले में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति;

(7) जिला योजना समिति के अध्यक्ष द्वारा नामांकित कौशल विकास क्षेत्र की महिलाओं में से एक महिला;

(8) जिले में पंचायत राज संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य, जो जिला योजना समिति के अध्यक्ष द्वारा नामांकित किये जायेंगे, जिसमें से एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति तथा एक अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा;

(9) जिले में नगरीय स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य, जो जिला योजना समिति के अध्यक्ष द्वारा नामांकित किये जायेंगे जिसमें से एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति तथा एक अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा;

(10) जिला अग्रणी (लीड) बैंक मैनेजर सदस्य होगा; तथा

(11) जिला प्राधिकरण, राज्य शासन के विशेषज्ञ या अन्य अधिकारियों को, जिनकी संख्या तीन से अधिक न हो, आमंत्रित कर सकेगा, जो उसकी राय में विचार-विमर्श करने में अपना योगदान दे सकते हों.

शासी परिषद, कार्यकारिणी समिति एवं जिला प्राधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल.

10. शासी परिषद्, कार्यकारिणी समिति तथा जिला प्राधिकरण, यथास्थिति, के पदेन सदस्य से भिन्न सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा, जब तक कोई सदस्य राज्य शासन द्वारा लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए हटाया नहीं जाये:

परन्तु पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य, राज्य शासन अथवा जिला योजना समिति के अध्यक्ष, यथास्थिति, द्वारा तीन वर्ष के आगामी कार्यकाल के लिए पुनः नामांकित किये जा सकेंगे.

अध्याय-तीन

अधिनियम के अधीन प्राधिकरणों के कृत्य एवं उत्तरदायित्व

राज्य प्राधिकरण के कृत्य एवं उत्तरदायित्व.

11. (1) राज्य प्राधिकरण के निम्नलिखित कृत्य और उत्तरदायित्व होंगे, अर्थात् :—

(क) वह, कौशल विकास नीति और कार्यक्रम पर, जब शासन द्वारा ऐसा करने के लिये कहा जाये, अपनी सलाह देगा;

(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से कम से कम एक माह पूर्व, राज्य प्राधिकरण, आगामी वित्तीय वर्ष के लिये वार्षिक कौशल विकास योजना को राज्य शासन को उसके अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगा;

(ग) प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार, राज्य प्राधिकरण राज्य में वृहद आर्थिक विकास की दिशा, नई प्रौद्योगिकी तथा कुशल मानव संसाधनों की मांग को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास के लिये एक संदर्श योजना तैयार करेगा तथा राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा;

(घ) राज्य प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि कौशल विकास रूपरेखा जिसमें पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम, विस्तृत पाठ्यचर्या, परीक्षण तथा प्रमाणीकरण के लिये अंगीकृत कार्यप्रणाली (पद्धति) समाविष्ट है, विनियम द्वारा अधिसूचित करे तथा उसे समय-समय पर उपांतरित करे;

(ङ) राज्य प्राधिकरण को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण अथवा पूर्व ज्ञान और तृतीय पक्ष मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर युवाओं द्वारा विभिन्न स्तरों पर कौशलों के अर्जन की सुनिश्चितता के आधार पर, प्रमाण पत्र प्रदान करने की शक्तियां प्राप्त होंगी;

(च) राज्य प्राधिकरण का कर्तव्य होगा कि किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता का चयन, पंजीयन, मूल्यांकन, नवीनीकरण अथवा पंजीयन के निरस्तीकरण की प्रक्रिया, विनियम द्वारा अधिसूचित करे;

(छ) राज्य प्राधिकरण का कर्तव्य होगा कि तृतीय पक्ष मूल्यांकक के चयन, पंजीयन, मूल्यांकन, नवीनीकरण अथवा पंजीयन के निरस्तीकरण की प्रक्रिया, विनियम द्वारा अधिसूचित करे;

(ज) राज्य प्राधिकरण का कर्तव्य होगा कि कौशल विकास से संबंधित एक या अधिक प्रमाण पत्र या अन्य अवार्ड, जो इस प्रकार के अवार्ड के समकक्ष समझा जाए जैसे डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र या पात्र अर्हताएं, जो लोक नियोजन के प्रयोजनों के लिए अथवा उच्च शिक्षा तक अभिगम हेतु मान्यता प्राप्त हो, राज्य शासन को समय-समय पर अनुशंसित करे;

(झ) राज्य प्राधिकरण का कर्तव्य होगा कि अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला प्राधिकरण को ऐसे निर्देशों और दिशा-निर्देशों को समय-समय पर जारी करे, जैसा कि वह आवश्यक समझे;

(ञ) अपने व्ययन के लिए निधि की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए, राज्य प्राधिकरण ऐसी गतिविधियों या ऐसे कार्यों को अपना सकते हैं, जो वार्षिक कौशल विकास योजना में सम्मिलित नहीं हैं, जो उनकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो:

परंतु जहां निधि की आवश्यकता राज्य के राजकोष पर दायित्व हो या होने की संभावना हो, वहां वार्षिक कौशल विकास योजना में निहित कार्यों के अलावा किसी अन्य कार्य को, राज्य शासन के पूर्वानुमोदन के बिना, नहीं अपनाया जायेगा;

(ट) वित्तीय प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य प्राधिकरण को अपने कार्यों को निष्पादित करने हेतु आवश्यकतानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी की सहायता हेतु व्यक्तियों की ऐसी संख्या को संविदा पर या अन्यथा, नियोजित करने की शक्तियां होगी और प्रत्येक ऐसा नियोजन, समय-समय पर यथा संशोधित छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994), के प्रावधानों के अध्यधीन होंगे;

(ठ) राज्य प्राधिकरण को उससे संबंधित या उसमें निहित किसी भी चल सम्पत्ति का ऐसी रीति में व्ययन करने की शक्ति होगी जैसा कि वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ठीक समझे;

(ड) राज्य प्राधिकरण को राज्य शासन से अनुदान अथवा ऋण, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करने की शक्तियां प्राप्त होंगी;

(ढ) ऐसे प्रयोजनों, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, के लिए राज्य प्राधिकरण को वसीयतकर्ताओं, दानदाताओं अथवा हस्तान्तरणकर्ताओं, जैसी भी स्थिति हो, से उपहारों, दानों, वसीयतों अथवा चल या अचल संपत्तियों के हस्तांतरण को प्राप्त करने की शक्तियां प्राप्त होगी;

(ण) राज्य प्राधिकरण को इस अधिनियम के उद्देश्यों के उन्नयन के लिए कौशल विकास से संबद्ध राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सहयोग करने की शक्तियां प्राप्त होंगी;

(त) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य प्राधिकरण को ऐसे सभी कार्य निष्पादित करने की शक्तियां प्राप्त होंगी जिनका उल्लेख विशेष रूप से इस धारा के पूर्व प्रावधानों में नहीं किया गया है और जिनका क्रियान्वयन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो; तथा

(थ) राज्य प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रयोजनों से अनसंगत ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करेगा जिसे राज्य शासन द्वारा उन्हें सौंपा गया हो.

(2) इस धारा की उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य प्राधिकरण, किसी भी रूप में, किसी भी अचल संपत्ति का व्ययन, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं करेगा.

शासी परिषद् के कृत्य एवं उत्तरदायित्व.

12. शासी परिषद् की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी, और उसके कृत्य एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके अधीन बनाये गये विनियमों के क्रियान्वयन हेतु कार्यकारिणी समिति अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को नीतिगत दिशा-निर्देश प्रदान करना;

(ख) कौशल विकास से संबंधित नीतियों पर राज्य शासन को परामर्श देना;

(ग) राज्य में कौशल विकास हेतु पंचवर्षीय संदर्श योजना अनुमोदित करना;

(घ) कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तावित वार्षिक कौशल विकास योजना को, ऐसे उपांतरणों सहित जैसा कि वह ठीक समझे, अनुमोदित करना;

(ङ) इस अधिनियम की धारा 11 के अधीन निर्मित विनियमों, या उनके उपांतरणों की अधिसूचना को अनुमोदित करना;

(च) राज्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक वित्तीय लेखाओं को अनुमोदित करना;

(छ) कार्यकारिणी समिति को अपनी किसी भी शक्तियों को ऐसी सीमा तक प्रत्यायोजित करना और इस अधिनियम के प्रयोजनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उसकी ओर से ऐसे निर्णय लेने के लिए उन्हें प्राधिकृत करना जैसा कि आवश्यक हो; तथा

(ज) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं है, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हो, जिसके लिए राज्य शासन के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता न हो.

कार्यकारिणी समिति के कृत्य एवं उत्तरदायित्व.

13. कार्यकारिणी समिति वर्ष में प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी तथा उसके निम्नलिखित कृत्य एवं उत्तरदायित्व होंगे, अर्थात् :—

(क) अधिनियम तथा उसके अधीन निर्मित विनियमों के उपबंधों के क्रियान्वयन का पुनर्विलोकन तथा मॉनिटरिंग करना;

(ख) शासी परिषद् के विचार हेतु राज्य में कौशल विकास के लिए पंचवर्षीय संदर्श योजना का अनुमोदन करना;

(ग) मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कौशल विकास योजना का, शासी परिषद् के विचार हेतु, आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के कम से कम दो माह पूर्व अनुमोदन करना तथा उसकी अनुशंसा करना;

(घ) इस अधिनियम की धारा 11 के अधीन विनियमों को शासी परिषद् के अनुमोदन से समय-समय पर निर्मित, अनुकूलित, संशोधित, परिवर्तित अथवा विखण्डित करना;

(ङ) जिला प्राधिकरण के कार्यों का पुनर्विलोकन करना तथा समय-समय पर मार्गदर्शन अथवा निर्देश जारी करना;

(च) राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण के अधीन संविदा पर अथवा अन्यथा, पदों के सृजन के प्रस्ताव का अनुमोदन करना;

(छ) कौशल विकास के लिए किसी शासकीय अथवा अनुमोदित अशासकीय, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से कोई ऋण, अनुदान, वसीयत, नगद या किसी अन्य प्रकार से प्राप्त कोई अन्य वित्तीय सहायता की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव का अनुमोदन करना;

(ज) मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ऐसे मार्गदर्शन अथवा ऐसे निर्देश प्रदान करना, जैसा कि अधिनियम तथा उसके अधीन निर्मित विनियमों के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हो;

(झ) कौशल विकास से संबंधित एक या अधिक प्रमाणपत्र या अन्य अवार्ड, जो इस प्रकार के अवार्ड के समकक्ष समझा जाए जैसे डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या पात्र अर्हताएं, जो लोक नियोजन के प्रयोजनों के लिए अथवा उच्च शिक्षा तक अभिगम हेतु मान्यता प्राप्त हो, के प्रस्तावों का, शासी परिषद् के विचार हेतु, अनुमोदन करना;

(ञ) राज्य प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए उपकर निर्धारित करना तथा ऐसे शुल्क तथा अन्य प्रभारों को प्राप्त करना;

(ट) छात्रवृत्ति, पुरस्कार तथा पदक संस्थापित करना तथा प्रदान करना;

(ठ) राज्य प्राधिकरण के किसी कारबार के निराकरण के लिए अथवा राज्य प्राधिकरण से संबंधित किसी, विषय पर परामर्श देने के लिए समिति या समितियां नियुक्त करना;

(ड) राज्य प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखाओं तथा वित्तीय प्राक्कलन पर विचार करना तथा ऐसा संकल्प पारित करना, जैसा कि वह आवश्यक समझे;

(ढ) राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उपरोक्त धारा के खंड (ठ) के अधीन गठित किसी समिति के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अपनी किसी शक्तियों को ऐसी सीमा तक प्रत्यायोजित करना जैसी कि वह आवश्यक समझे;

(ण) अनुमोदित वित्तीय प्राक्कलन के भीतर मूलधन का निवेश करने संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन करना;

(त) राज्य प्राधिकरण के संबंध में बैंकर्स तथा संपरीक्षकों की नियुक्ति के प्रस्तावों का अनुमोदन करना; तथा

(थ) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करना जो उसे समय-समय पर सौंपे जाएं, या ऐसी किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करना जो शासी परिषद् द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाएं.

राज्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कृत्य एवं उत्तरदायित्व.

14. इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यपालन प्राधिकारी होगा तथा उसके निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात् :—

(क) राज्य के लिए पंचवर्षीय संदर्श योजना तथा वार्षिक कौशल विकास योजना तैयार करना तथा कार्यकारिणी समिति के विचार हेतु प्रस्तुत करना;

(ख) अधिनियम की धारा 11 के अधीन अधिसूचित किए जाने वाले विनियमों को प्रस्तावित करना;

(ग) व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता, तृतीय पक्ष मूल्यांकक या जिला प्राधिकरण के कार्यों के निष्पादन की मानिटरिंग करना तथा ऐसे उपचारात्मक उपाय करना जो कि इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विनियमों के अधीन अपेक्षित हों;

(घ) अनुमोदित पदों पर, संविदा पर या अन्यथा, कार्मिकों की नियुक्ति करना;

(ङ) कौशल विकास में लगे हुए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ वस्तुओं, सेवाओं एवं संपत्ति के पट्टे, किराए, प्राप्ति के संबंध में तथा सहयोग के लिए राज्य प्राधिकरण के लिए तथा उसकी ओर से अनुबंध करना;

(च) चल संपत्ति का समय-समय पर व्ययन करना;

(छ) राज्य प्राधिकरण तथा जिला प्राधिकरण के प्रशासन का प्रबंध करना तथा उसमें संविदा पर या अन्यथा, नियोजित सभी व्यक्तियों के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना;

(ज) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन राज्य प्राधिकरण की ओर से ऋण, अनुदान, उपहार, दान, वसीयत, उपकृति अथवा चल या अचल संपत्ति का हस्तांतरण प्राप्त करना तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए अनुबंध करना;

(झ) राज्य प्राधिकरण की निधि की अभिरक्षा करना;

(ञ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के पूर्व, वित्तीय प्राक्कलन तैयार करना तथा कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित प्रत्यायोजन की सीमा के भीतर उपलब्ध निधि पर व्यय की स्वीकृति देना;

(ट) लेखा पुस्तिका और अन्य सुसंगत अभिलेख तैयार करना तथा उसका अनुरक्षण सुनिश्चित करना;

(ठ) कार्यकारिणी समिति के विचारण के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं का वित्तीय विवरण तैयार करना सुनिश्चित करना;

(ड) किसी न्यायालय अथवा अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष, इस अधिनियम के अधीन सभी प्रयोजनों के साथ-साथ किसी कार्यवाही के संबंध में उसके अधिकृत (मान्यता प्राप्त) एजेन्ट के रूप में राज्य प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करना;

(ढ) शासी परिषद् या कार्यकारिणी समिति, यथास्थिति, की बैठकें आहूत करना; तथा

(ण) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि शासी परिषद् या कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रत्यायोजित किया जाए, जो राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण के दैनंदिन प्रशासन के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हो.

जिला प्राधिकरण के कृत्य एवं उत्तरदायित्व.

15. जिला प्राधिकरण की माह में कम से कम एक बार बैठक होगी और इसके निम्नलिखित कृत्य एवं उत्तरदायित्व होंगे, अर्थात् :—

(क) जिले के लिए वार्षिक कौशल विकास कार्यक्रम तैयार करना और उसे राज्य प्राधिकरण के वार्षिक कौशल विकास योजना तैयार करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी को उपलब्ध कराना;

(ख) राज्य प्राधिकरण के परामर्श से जिले में उपलब्ध कौशल विकास प्रशिक्षण अवसरों की एक सूची तथा प्रशिक्षण आरंभ होने से पूर्व वांछित प्रशिक्षणार्थियों की न्यूनतम संख्या का प्रकाशन करना;

(ग) जिले में स्थित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण करना तथा ऐसे उपचारात्मक उपाय करना जो कि इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हो;

(घ) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन ऋण, अनुदानों, उपहारों, दानों, वसीयतों, उपकृति अथवा चल या अचल संपत्ति के अंतरणों को प्राप्त करना;

(ङ) खाता पुस्तकों और अन्य सुसंगत अभिलेखों को तैयार करना तथा उसका अनुरक्षण सुनिश्चित करना;

(च) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं के वित्तीय विवरण को तैयार करना सुनिश्चित करना और उसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुत करना;

(छ) कौशल विकास गतिविधियों के लिए जिले के भीतर उपलब्ध सभी संसाधनों की ऐसी पहचान करना और संग्रहित करना, जैसा कि अपेक्षित हो; तथा

(ज) व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं, तृतीय पक्ष मल्यांककों तथा जिले के भीतर कौशलों के विकास के लिए नामांकित युवाओं के कौशल विकास गतिविधियों की प्रास्थिति पर, ऐसी सावधिक अवधि में प्रतिवेदन निर्मित करना जैसा कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए.

शासी परिषद् कार्यकारिणी समिति तथा जिला प्राधिकरण की बैठक हेतु गणपूर्ति.

16. शासी परिषद्, कार्यकारिणी समिति और जिला प्राधिकरण को बैठकों के लिए गणपूर्ति, कुल सदस्यता की एक तिहाई होगी, जिसमें विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य शामिल नहीं होंगे.

अध्याय–चार
शिकायत निवारण (प्रतितोषण) तंत्र

शिकायतों का निवारण (प्रतितोषण) तथा पुनर्विलोकन.

17. (1) कौशल विकास हेतु आवेदक या कौशल विकास हेतु नामांकित कोई युवा जिला प्राधिकरण अथवा धारा 4 की उप-धारा (1) के अंतर्गत राज्य प्राधिकरण द्वारा पदाभिहित अधिकारी या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के किसी निर्णय, आदेश या कार्यवाही से व्यथित है, तो वह ऐसे निर्णय या आदेश या कार्यवाही, यथास्थिति, के 30 दिनों की कालावधि के अंदर विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है तथा प्राधिकारी उसकी सुनवाई करने हेतु अग्रसर होगा तथा 60 दिनों की आगामी कालावधि के अंदर अभ्यावेदन पर निर्णय देगा तथा जहां आवेदक अथवा कौशल विकास के लिए नामांकित कोई युवा, जैसी भी स्थिति हो, अभ्यावेदन पर लिए गये निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह निर्णय के 45 दिनों की कालावधि में पुनर्विलोकन हेतु द्वितीय अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है तथा पुनर्विलोकन प्राधिकारी, जिसका उल्लेख विनियमों में भी किया जायेगा, शिकायतों की सुनवाई करेगा तथा 90 दिनों की कालावधि में मामले में अपना यथोचित निर्णय देगा तथा पुनर्विलोकन प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा.

(2) व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता या तृतीय पक्ष मूल्यांकक मुख्य कार्यपालन अधिकारी या जिला प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, के किसी निर्णय या आदेश या कार्यवाही से व्यथित है, तो वह ऐसे निर्णय या आदेश या कार्यवाही, जैसी भी स्थिति हो, के 30 दिनों की कालावधि के अंदर विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं तथा प्राधिकारी उसकी सुनवाई करने हेतु अग्रसर होगा तथा 60 दिनों की आगामी कालावधि के अंदर अभ्यावेदन पर निर्णय देगा तथा जहां व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता या तृतीय पक्ष मूल्यांकक, जैसी भी स्थिति हो, अभ्यावेदन पर लिये गये निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह निर्णय के 45 दिनों की कालावधि में पुनर्विलोकन हेतु द्वितीय अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, तथा पुनर्विलोकन प्राधिकारी, जिसका उल्लेख विनियमों में भी किया जायेगा, शिकायतों की सुनवाई करेगा तथा 90 दिनों की कालावधि में मामले में अपना यथोचित निर्णय देगा तथा पुनर्विलोकन प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा.

अध्याय–पांच
वित्त

राज्य कौशल विकास निधि.

18. इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए, इस संबंध में विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में राज्य प्राधिकरण द्वारा एक राज्य कौशल विकास निधि संधारित तथा संचालित की जायेगी तथा जिसमें निम्नलिखित से या द्वारा प्राप्त राशियों को जमा किया जायेगा, अर्थात् :—

(क) केन्द्र शासन;

(ख) राज्य शासन;

(ग) राज्य शासन द्वारा यथा प्राधिकृत, ऋण;

(घ) इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त उपहार, दान, वसीयत, उपकृति या अंतरण; तथा

(ङ) राज्य प्राधिकरण द्वारा संग्रहित कोई शुल्क.

जिला कौशल विकास निधि.

19. इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए, इस संबंध में विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में जिला प्राधिकरण द्वारा एक जिला कौशल विकास निधि संधारित तथा संचालित की जायेगी तथा जिसमें निम्नलिखित से या द्वारा प्राप्त राशियों को जमा किया जायेगा, अर्थात् :—

(क) केन्द्र शासन;

(ख) राज्य शासन;

(ग) राज्य शासन द्वारा यथा प्राधिकृत, ऋण;

(घ) इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त उपहार, दान, वसीयत, उपकृति या अंतरण; तथा

(ङ) राज्य प्राधिकरण से अन्तरण.

राज्य तथा जिला कौशल विकास निधि की लेखा परीक्षा.

20. राज्य प्राधिकरण तथा प्रत्येक जिले में जिला प्राधिकरण :—

(क) बैलेंस शीट और अन्य संबंधित अभिलेखों सहित लेखाओं का समुचित रूप से संधारण करेगा तथा लेखाओं का वार्षिक वित्तीय-विवरण तैयार करेगा, जो राज्य के स्थानीय निधि लेखा-संपरीक्षक या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा परीक्षित किया जाएगा;

(ख) राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण, यथास्थिति, के लेखाओं की परीक्षा के संबंध में स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के ऐसे लेखाओं के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो स्थानीय निकायों के लेखाओं की परीक्षा, विशेषतः बहियों, लेखाओं, संबंधित वाऊचरों, अन्य दस्तावेजों तथा कागजातों को प्रस्तुत करने की मांग के अधिकार तथा प्रत्येक जिले में राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण, यथास्थिति, के कार्यालयों के निरीक्षण के संबंध में स्थानीय निधि संपरीक्षक के रूप में प्राप्त होते हैं;

(ग) स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित इन लेखाओं को, उसके लेखा प्रतिवेदन के साथ ही प्रतिवर्ष राज्य शासन को अग्रेषित किया जाएगा तथा राज्य शासन उसे राज्य विधान सभा के समक्ष रखेगा; तथा

(घ) राज्य प्राधिकरण तथा प्रत्येक जिले में जिला प्राधिकरण इस धारा के खण्ड (ख) तथा (ग) का अल्पीकरण किये बिना अपने लेखाओं की परीक्षा के लिए वैधानिक संपरीक्षक नियुक्त कर सकते हैं.

अध्याय-छः
विविध

कुशल व्यक्तियों की निर्देशिका.

21. राज्य प्राधिकरण राज्य में कुशल व्यक्तियों की एक निर्देशिका का अनुरक्षण करेगा और सामयिक रूप से अपनी वेबसाइट पर इसका प्रकाशन करेगा.

राज्य के बाहर स्थित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता की अधिसूचना.

22. जहां राज्य शासन की राय में, राज्य में कुछ कौशलों का अभाव या कमी हो और जनहित में ऐसे कौशलों को युवाओं को प्रदाय किया जाना अपेक्षित समझा जाता है और यदि राज्य में इन कौशलों के प्रदाय हेतु कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता उपलब्ध न हो, तो वह राज्य प्राधिकरण की अनुशंसा पर, राज्य के बाहर स्थित समुचित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता की पहचान करेगा तथा इसके पश्चात् राज्य प्राधिकरण इस प्रकार के कौशलों और साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता को अधिसूचित करेगा और पात्र युवाओं के कौशल विकास हेतु समुचित व्यवस्थाएं करने हेतु अग्रसर होगा.

कौशलों में अनुसंधान एवं विकास.

23. राज्य प्राधिकरण कौशलों के लिए प्रशिक्षण में अनुसंधान एवं विकास हेतु विश्वविद्यालयों को सम्मिलित करते हुए अभिकरण या संस्थाओं के साथ सहयोग करेगा

उद्योगों के साथ सहयोग.

24. राज्य शासन तथा राज्य प्राधिकरण राज्य के युवाओं के बीच कौशलों के विकास में उद्योगों की स्वैच्छिक भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा.

सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण.

25. इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों, विनियमों या जारी किये गये आदेशों या निर्देशों के अनुसरण में, शासन या शासन के या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी प्राधिकरण के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या ऐसे प्राधिकरण या प्राधिकरणों के किसी सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध सद्भावनापूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी भी बात के संबंध में कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित नहीं होगी.

कतिपय नियमों तथा विधियों की प्रयोज्यता.

26. (1) राज्य शासन द्वारा, अधिसूचना द्वारा जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के प्रावधान राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन संविदात्मक नियोजन को, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे.

(2) राज्य शासन द्वारा, अधिसूचना द्वारा जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाये, समय समय पर यथा संशोधित, छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 अथवा इस संबंध में तत्समय प्रवृत्त राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि के प्रावधान, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, को यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे.

नियमों तथा विनियमों को निर्मित करने की शक्ति.

27. (1) राज्य शासन को इस अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन हेतु नियम निर्मित करने की शक्तियां होंगी.

(2) राज्य प्राधिकरण को इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, उसके प्रयोजनों के कियान्वयन हेतु, विनियमों को निर्मित करने की शक्तियां होंगी.

(3) इस अधिनियम के अधीन निर्मित किया गया प्रत्येक नियम या विनियम, इसके निर्मित किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब सत्र कुल 30 दिवस की अवधि के लिए हो, जो एक ही सत्र में या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकती हो, रखा जायेगा, और यदि, उस सत्र जिसमें उक्त अवधि समाप्त हो या पूर्वोक्त उत्तरवर्ती सत्र के अवसान होने के पूर्व सदन यदि किसी प्रकार का उपांतरण करने की सहमति देता है अथवा यदि सदन सहमत होता है कि नियम या विनियम, जैसी भी स्थिति हो, को नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम या विनियम, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभावी होगा, तथापि ऐसा कोई उपांतरण या विलोपन, नियम या विनियम, यथास्थिति, के अधीन पूर्व में किये गये किसी कार्य की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा.

अनुसूची

[धारा 4 (1) देखिए]

कौशल विकास हेतु आवेदन

(आवेदक ऐसे विवरण दें, जो उनकी जानकारी में हों)

- जिला प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख : ....
- जिले का नाम : ....

कृपया अपने नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चिपकायें

व्यक्तिगत विवरण :

1.	आवेदक का नाम	:	....
2.	पिता/पति का नाम	:	....
3.	माता का नाम	:	....
4.	लिंग (पुरुष/महिला)	:	....
5.	आयु (वर्ष तथा माह में)	:	....
6.	जन्मतिथि	:	तारीख ....माह ....वर्ष ....
7.	क्या आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी है (हां/नहीं)	:	....
8.	श्रेणी (अजा/अजजा/अपिव/अनारक्षित)	:	....
9.	धर्म	:	....
10.	क्या विभिन्न व्यक्ति सक्षम है (यदि हां, तो वर्ग का उल्लेख करें)	:	....
11.	वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित)	:	....
12.	क्या आवेदक गरीबी रेखा प्रवर्ग से संबंधित है ? (हां/नहीं)	:	....
13.	रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक (यदि हो)	:	....
14.	आधार कार्ड क्रमांक (यदि कोई हो)	:	....
15.	क्या आवेदक किसी विभाग/मंडल इत्यादि की किसी योजना का हितग्राही है ? (यदि हां तो कृपया विभाग/मंडल इत्यादि के नाम का उल्लेख करें)	:	....
16.	भाषाएं जो जानते हैं	:	....
17.	स्थायी पता	:	.... ग्राम/शहर .... वार्ड क्रमांक/ग्राम पंचायत .... विकासखण्ड .... जिला .... राज्य .... पिनकोड ....
18.	पत्र व्यवहार का पता	:	.... ग्राम/शहर .... वार्ड क्रमांक/ग्राम पंचायत .... विकासखण्ड .... जिला .... राज्य .... पिनकोड ....
19.	सम्पर्क हेतु दूरभाष नम्बर (यदि कोई हो)	:	....
20.	सम्पर्क हेतु मोबाइल नम्बर (यदि कोई हो)	:	....
21.	ई-मेल (यदि कोई हो)	:	....
22.	आवेदक का व्यवसाय	:	....

23. परिवार का व्यवसाय : ....

24. परिवार की वार्षिक आय : ....

25. **शैक्षणिक अर्हता :**

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	मण्डल/विश्वविद्यालय का नाम	अंकों का प्रतिशत या श्रेणी
5वीं			
8वीं			
10वीं/मैट्रिक			
12वीं/उच्चतर माध्यमिक			
स्नातक			
स्नातकोत्तर			
अन्य			

26. **तकनीकी/व्यावसायिक अर्हता:** व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/पत्रोपाधि/इंजीनियरिंग/प्रबंधन/चिकित्सा तथा परिचर्या/फार्मेसी/अन्य

स. क्र.	अर्हता	ट्रेड/ब्रांच/स्ट्रीम	मण्डल/विश्वविद्यालय का नाम	कालावधि (वर्षों में)	उत्तीर्ण करने का वर्ष	अंकों का प्रतिशत या श्रेणी

27. **पूर्व अर्जित कौशल का विवरण :**

स. क्र.	कौशल का विवरण	सेक्टर	समकक्ष एमईएस पाठ्यक्रम का नाम	क्या प्रमाण पत्र है (हां/नहीं)	औपचारिक/अनौपचारिक/ परंपरागत/विरासत में प्राप्त कौशल	औपचारिक कौशल प्रशिक्षण की कालावधि

28. **कार्य अनुभव :**

व्यवसाय की प्रकृति	व्यवसाय की शाखा	पदनाम (यदि कोई हो)	अनुभव की कालावधि (वर्षों में)	मासिक आय (रुपयों में)

29. **आवेदक द्वारा अपेक्षित कौशल प्रशिक्षण का विवरण :**

क. शाखा का नाम, जिसमें कौशल प्रशिक्षण अपेक्षित है : ....

ख. एमईएस पाठ्यक्रम का नाम (यदि ज्ञात हो) : ....

ग. एमईएस पाठ्यक्रम का कोड (यदि ज्ञात हो) : ....

घ. क्या जिले के बाहर कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने की इच्छा है (हां/नहीं) : ....

30. यदि आवेदक ने पूर्व से ही कोई कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो उसका विवरण :—

स. क्र.	शाखा	पाठ्यक्रम/ एमईएस पाठ्यक्रम का नाम	जिले का नाम	व्हीटीपी का नाम	प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तारीख	प्रशिक्षण समाप्त होने की तारीख	परिणाम (उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण)	प्राप्त प्रमाण पत्र (हां/नहीं)

* व्हीटीपी से अभिप्रेत है व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता.

* एमईएस से अभिप्रेत है माड्यूलर रोजगार योग्य कौशल.

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर

रायपुर, दिनांक 6 मई 2013

क्रमांक 3691/डी. 121/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 17 of 2013)

CHHATTISGARH RIGHT OF YOUTH TO SKILL DEVELOPMENT ACT, 2013

TABLE OF CONTENTS

Section

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Right of youth to get skilled.
4. Exercising the right to skill development.
5. Testing and certification.

CHAPTER-II
ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE STATE AUTHORITY AND DISTRICT AUTHORITY

6. State authority.
7. Governing council.
8. Executive committee.
9. District authority.
10. Term of members of the Governing Council, the Executive Committee and the District Authority.

CHAPTER-III
FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES OF THE AUTHORITIES UNDER THE ACT

11. Functions and responsibilities of State Authority.
12. Functions and responsibilities of the Governing Council.
13. Functions and resonsibilities of the Executive Committee.
14. Functions and responsibility of chief executive officer of State Authority.
15. Functions and responsibility of the District Authority.
16. Quorum for meetings of the Governing Council, the Executive Committee and the District Authority.

CHAPTER-IV
GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM

17. Redressal of grievances and review.

CHAPTER-V
FINANCES

18. State skill Development fund.
19. District skill development fund.
20. Audit of the state and district skill development funds.

CHAPTER-VI
MISCELLANEOUS

21. Directory of skilled persons.
22. Notification of Vocational Training Provider situated outside the State.
23. Research and development in skills.
24. Collaboration with industries.
25. Protection of acts done in good faith.
26. Applicability of certain rules and laws.
27. Power to make rules and regulations.

SCHEDULE

CHHATTISGARH ACT
(No. 17 of 2013)

CHHATTISGARH RIGHT OF YOUTH TO SKILL DEVELOPMENT ACT, 2013

An Act to Provide for right to opportunities for skill development to every youth, residing in the State of Chhattisgarh, in any vocation of her or his choice consistent with eligibility and aptitude.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows :—

CHAPTER-I
PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013.

(2) It extends to the whole of the State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Block" means a Community Development Block or a Tribal Development Block, as the case may be, which has been notified by the State Government for the purposes of rural development or tribal development;

(b) "Central Government" means the Government of India;

(c) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer of the Chhattisgarh State Skill Development Authority;

(d) "District Authority" means the District Skill Development Authority notified by the State Government for the purposes of this Act;

(e) "District Planning Committee" means the District Planning Committee as defined in the Article 243-ZD of the Constitution of India;

(f) "Executive Committee" means the Executive Committee of the Governing Council;

(g) "Governing Council" means the Governing Council of the Chhattisgarh State Skill Development Authority;

(h) "Schedule" means a schedule appended to this Act;

(i) "Skill" means a skill recognized by the State Authority for which a person is suitable by education, prior knowledge, aptitude, experience, practice, tradition or family occupation, as the case may be, which has been standardized and recognized by the State authority;

(j) "State" means the State of Chhattisgarh;

(k) "State Authoriy" means the Chhattisgarh State Skill Development Authority, to be notified by the State Government, for the purposes of this Act;

(l) "State Government" means the Government of Chhattisgarh"

(m) "Third Party Assessor" means an assessor of skill levels, not associated with the Vocational Training Provider where the youth being assessed for skill level is being trained and, so recognized by the State Authority;

(n) "Training" means training imparted to youth for the purposes of skill development;

(o) "Vocational Training Provider" means an individual, an institution, an industry a micro or small enterprise, an association of persons, a Government or Non Government Organization or a business having capacity to train, as may be prescribed, registered with the State Authority for training in skills;

(p) "Youth" means a person who is a resident of the State and is not below the age of 14 years and not above the age of 45 years on the date of submission of an application for skill development.

Right of youth to get skilled.

3. (1) No youth shall be denied opportunity to get skilled in a vocation of choice from amongst the skills, as notified by the State Authority, subject to possessing such eligibility as mentioned in the notification.

(2) Notwithstanding anything contained in this section or under any provision of this Act, the right to get skilled in a vocation of choice shall be deemed to have been extinguished, if the youth is not declared successful by the Third Party Assessor or fails to satisfactorily complete the relevant training:

Provided that a youth may make an application for developing multiple skills, if a District Authority or the State Authority, as the case may be, has exhausted all eligible applications for skill development in such skill (s) at the time of submission of the application.

Exercising the right to skilled development

4. (1) In exercise of the right to skill development, a youth may make an application, to the District Authority or to an officer designated by the State Authority for this purpose in the Performa as prescribed in Schedule of this Act, and the District Authority or the officer designated by the State authority shall identify a Vocational Training Provider and inform the applicant of the same within a maximum period of 90 days from the date of receipt of application:

Provided that where the Vocational Training Provider, identified under this sub-section, is situated outside the limits of the Block but within the limits of the District and in the opinion of the District Authority the distance between the Vocational Training Provider and the ordinary residence of the applicant is such that commuting to and from the Vocational Training Provider is beyond the capacity of the applicant then the District Authority shall make such arrangements for providing residential accommodation during the period of training, as may be required on such terms as the District Authority may determinde:

Provided further that where the Vocational Tranining Provider is situated outside the limits of the District, the District Authority shall refer the application to the State Authority, which shall thereafter make such arrangements as are necessary, in consultation with the District Authority in whose district the Vocational Training Provider identified for training is situated.

(2) An application made to the District Authority under sub-section (1) of this section may be modified by the applicant where the applicant is found by the District Authority to be suitable for development of a skill other than the

one applied for, or where the minimum number of applicants are not available to commence training in such skill as notified under the regulations for the purpose.

Testing and certification. 5. Every youth enrolled for development of a skill shall be certified by the State Authority to possess such skill only after having satisfactorily completed the relevant training by a Vocational Training Provider and after having been examined and declared sucessful by a Third Party Assessor.

CHAPTER-II
ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE STATE AUTHORITY AND DISTRICT AUTHORITY

State authority. 6. There shall be a State Authority known by the name of Chhattisgarh State Skill Development Authority in the State of Chhattisgarh to implement the provisions of this Act which shall be a body corporate having a perpetual succession and a common seal and may by the said name sue or be sued:

Provided that the Chhattisgarh State Skill Development Mission registered as a society under the Chhattisgarh Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973), existing on the date of commencement of this Act, shall stand dissolved and all assets and liabilities of the Chhattisgarh State Skill Development Mission shall be deemed to be the assets and liabilities of the State Authority:

Provided further that any contractual obligations on the part of the Chhattisgarh State Skill Development Mission or accruing to it, including those in respect of employees, shall deemed to be an obligation of the State Authority or accruing to it, as the case may be.

Governing council. 7. There shall be a Governing Council to exercise supervision and control over the activities of the State Authority and to evolve guidelines on policies to be pursued by it with the following composition :—

(a) (1) Chief Minister of the State shall be the Chairperson (Ex-Officio);

(2) Ministers in-charge of—
- (i) Technical Education & Manpower Planning,
- (ii) Labour, and
- (iii) Sports and Youth Welfare Development shall be the members (Ex-Officio);

(3) Vice Chaiperson of State Planning Commission shall be the Member (Ex-Officio);

(4) Chief Secretary of the State Government shall be Member (Ex-Officio);

(5) Secretaries to the State Government (by whatever designation called), in charge of the departments of Agriculture and Allied Sectors, Aviation, Energy, Finance, Forests, Health and Medical Education, Higher Education, Housing and Environment, Industries, Information Technology and Bio-technology, Internal Security, Media and Information, Mining, Panchayat and Rural Development, Public Works, Rural Industries, Scheduled Tribes, Scheduled Castes and Other Backward Classes Welfare, School Education, Social Welfare, Technical Education and Manpower Planning, Tourism, Urban Development, Woman and Child Development and Youth Welfare shall be the members (Ex-officio);

(6) Three chairpersons, by rotation, of District Authorities shall be members (Ex-officio); and

(7) Chief Executive Officer of the State Authority shall be the Member-Secretary.

(b) In addition to the ex-officio members, mentioned in clause (a) of this Section, following shall also be nominated by the State Government as members:

(1) Three persons of eminence, one of whom shall be a woman, with background in industry, trade and commerce;

(2) Three persons of eminence, one of whom shall be a woman, with background in skill development and livelihood programmes;

(3) Three persons from the State, one of whom shall be a woman, who have contributed substantially to skill development;

(4) Five persons, one of whom shall be a woman, representing educational institutions, engaged in the field of technical, agricultural, medical, vocational and management education;

(5) One person, being differently-abled, representing the interests of youth with disabilities involved in developing skills;

(6) Three Persons representing Vocational Training Providers; and

(7) One person representing recognized organization of youth in the State.

(c) Five members of the State Legislative Assembly, out of whom one member each shall be from the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and the Other Backward Classes, shall be nominated by the Speaker of the State Legislative Assembly, shall be members (Ex-officio).

(d) The Governing Council may extend invitations to such number of experts or other officers of Central Government or State Government, as it may deem fit, who in its opinion can contribute to its deliberations.

8. There shall be an Executive Committee of the Governing Council, to carry out its directions and to guide and direct the Chief Executive Officer in implementing the policies made by the Governing Council, with the following composition, namely :— **Executive committee.**

(a) Chief Secretary of the State Government shall be the Chairperson (Ex-officio);

(b) Secretaries to the State Government (by whatever designation called) in-charge of the subjects of Agriculture and Allied Sectors, Finance, Industry, Labour, Rural Development, the Scheduled Tribes, the Scheduled Castes and the Other Backward Classes Welfare, Technical Education and Manpower Planning, Urban Development, Woman and Child Development and Youth Welfare shall be the members (Ex-officio);

(c) Convener of the state level bankers committee shall be member (Ex-officio);

(d) One member from among the members under sub-clause (1) of clause (b) of Section 7, to be nominated by the State Government;

(e) Two member from among the members under sub-clause (4) of clause (b) of Section 7 one whom shall be a woman, to be nominated by the State Government;.

(f) One member from among the members under sub-clause (6) of clause (b) of Section 7, to be nominated by the State Government, and

(g) Chief Executive Officer of the State Authority shall be the Member-Secretary.

District authority.

9. Every district shall have a District Skill Development Authority, to implement the provisions of this Act at the District level, with the following composition, namely :—

(1) District Collector shall be the Chairperson (Ex-officio);

(2) Chief Executive Officer Zila Panchayat shall be a member;

(3) One member representing State Authority shall be the Member-Secretary;

(4) Three persons representing industry, trade and commerce;

(5) Three persons, one of whom shall be a differently-abled person, representing educational institutions engaged in technical, agricultural, medical, vocational and management education;

(6) One person representing Vocational Training Providers in the district;

(7) Woman, with background in skill development among women, to be nominated by the Chairperson of the District Planning Committee;

(8) Five members representing Panchayati Raj Institutions in the district, to be nominated by the Chairperson of the District Planning Committee, one of whom shall be from the Scheduled Castes, one from the Scheduled Tribes and one from the Other Backward Classes;

(9) Five members representing urban local bodies in the district, to be nominated by the Chairperson of the District Planning Committee, one of whom shall be from the Scheduled Castes, one from the Scheduled Tribes and one from the Other Backward Classes;

(10) The District Lead Bank Manager shall be a member; and

(11) The District Authority may extend invitations to experts or officers of the State Government, not exceeding three in numbers, who in its opinion can contribute to its deliberations.

Term of members of the Governing Council, the Executive Committee and the District Authority.

10. The term of members, other than the ex-officio members, of the Governing Council, the Executive Committee and the District Authority, as the case may be, shall be for a maximum period of three years unless a member is removed by the State Government, for reasons recorded in writing:

Provided that a member, other than an ex-officio member, may be re-nominated for a further term of three years by the State Government or the chairperson of the District Planning Committee, as the case may be.

CHAPTER-III
FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES OF THE AUTHORITIES UNDER THE ACT

Functions and responsibilities of State Authority.

11. (1) The State Authority shall have the following functions and responsibilities, namely :—

(a) It shall, when called upon to do so by the State Government, advise it on the skill development policies and programmes;

(b) At least one month before the beginning of finnancial year, the State Authority shall submit to the State Government, for its approval, the Annual Skill Development Plan for the ensuing financial year;

(c) Once in every five years, the State Authority shall prepare and submit to the State Government a perspective plan for skill development in the State having regard to the macro-economic growth trends, emerging technologies and demand for skilled human resources;

(d) It shall be the duty of the State Authority, to notify by regulations, the skill development framework comprising courses and programmes of training, the detailed curriculum, the methodology adopted for testing and for certification, and to modify the same from time to time;

(e) The State Authority shall have the powers to award certificates in recognition of attainment of skills at various levels by the youth, on the basis of prior knowledge or training provided, by a Vocational Training Provider, and assessed by a Third Party Assessor;

(f) It shall be the duty of the State Authority, to notify by regulations, the procedure for selection, registration, evaluation, renewal or cancellation of registration of a Vocational Training Provider;

(g) It shall be the duty of the State Authority, to notify by regulations, the procedure for selection, registration, evaluation, renewal or cancellation of registration of a Third Party Assessor;

(h) It shall be the duty of the State Authority to recommend the State Government, from time to time, one or more certificates or other awards pertaining to skill development, which may be considered to be equivalent to awards such as degree, diploma, certificates or eligibility qualifications as are recognized for the purposes of public employment or access to higher education;

(i) It shall be the duty of the State Authority, to issue from time to time, such directions and guidelines to the District Authority for the effective implementation of the Act, as it may deem necessary;

(j) Subject to availability of funds at its disposal, the State Authority may take up such other activities not included in the Annual Skill Development Plan, which in its opinion, are necessary for the purposes of this Act:

Provided that where the requirement of funds is, or is likely to be, liability on the State exchequer, no activity other than those contained in the Annual Skill Development Plan shall be taken up, except with the prior approval of the State Government;

(k) Subject to the financial Provisions, the State Authority shall have the powers to employ on contract or otherwise, such number of persons to assist the Chief Executive Officer necessary to carry out its functions, and every such employment shall be subject to the provisions of the Chhattisgarh Lok Sewa (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), as amended from time to time;

(l) The State Authority shall have the powers to deal with any movable property belonging to, or vested in it, in such manner as it may deem fit for advancement of its objects;

(m) The State Authority shall have the powers to receive grants or loans, as the case may be, from the State Government;

(n) The State Authority shall have the powers to receive gifts, donations, bequests, benefactions or transfer of movable or immovable properties from testators, donors or transferors, as the case may be, for purposes not inconsistent with the provisions of this Act;

(o) The State Authority shall have the powers to collaborate with institutions of national or international repute engaged in skill development, for furthering the purposes of this Act;

(p) Subject to the provisions of this Act, the State Authority shall have the powers to do all such things, which are not specifically mentioned in the foregoing provisions of this Section, and which may be necessary for carrying out the purposes of this Act; and

(q) The State Authority shall perform such other functions, not being inconsistent with the purposes of this Act, as assigned to it by the State Government.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of this Section, the State Authority shall not dispose off, in any manner, any immovable property without the prior approval of the State Government.

Functions and resonsibilities of the Governing Council.

12. The Governing Council shall meet at least once in a year and shall have the following functions and responsibilities, namely :—

(a) To provide policy directions to the Executive Committee or the Chief Executive Officer, as the case may be, for the implementation of the Provisions of this Act and regulations made thereunder;

(b) To advise the State Government on policies dealing with skill development;

(c) To approve the five-year perspective plan for skill development in the State;

(d) To approve the Annual Skill Development Plan proposed by the Executive Committee, with such modifications as it may deem fit;

(e) To approve notification of regulations made under Section 11 of this Act, or modifications thereof;

(f) To approve the Annual Report and the Annual Financial Accounts of the State Authority;

(g) To delegate, to such extent, any of its powers to the Executive Committee and to authorize it to take such decisions on its behalf, as may be necessary, for effectively carrying out the purposes of this Act; and

(h) To exercise such other powers not specified above, as may be necessary to carry out the purposes of this Act, which do not require the prior approval of the State Government.

Functions and responsibilities of the Executive Committee.

13. The Executive Committee shall meet at least once in every three months, and shall have the following functions and resposibilities, namely :—

(a) To review and monitor the implementation of the provisions of this Act and regulations made thereunder ;

(b) To approve the five-year perspective plan for skill development in the State for the consideration of the Governing Coucil;

(c) To approve the Annual Skill Development Plan, submitted by the Chief Executive Officer, and to recommend the same for the consideration of the Governing Council, at least two months before the beginning of the financial year next;

(d) To make, adopt, amend, vary or rescind, from time to time and with the approval of the Governing Council, the regulations made under Section 11 of this Act;

(e) To review the working of the Distirict Authority and to issue, from time to time, guidelines or directions to it;

(f) To approve proposals for creation of posts on contract or otherwise under the State Authority or the District Authority;

(g) To approve proposals in regard to acceptance of any loans, grants, bequests or any other financial assistance in cash or kind from any government or approved non-government, national or international sources for skill development;

(h) To give such guidelines or issued such directions to the Chief Executive Officer, as it deems necessary, for carrying out the purposes of this Act and regulations thereunder;

(i) To approve proposals, for the consideration of the Governing Council, for the equivalence of, one or more certificates or other awards pertaining to skill development to awards such as degree, diploma or certificates or eligibility qualifications as are recognized for the purposes of public employment or access to higher education;

(j) To fix, levy and receive such fees and other charges for service rendered by the State Authority;

(k) To institute and award scholarships, prizes and medals;

(l) To appoint committee(s) for disposal of any business of the State Authority or for advice in any matter pertaining to the State Authority ;

(m) To consider and pass such resolution on the annual report, the annual accounts and the financial estimates of the State Authority, as it may deem fit;

(n) To delegate, to such extent as it may deem necessary, any of its powers to the Chief Executive Officer of the State Authority, or to the District Authority, or to any committee constituted under clause (m) of this Section hereinabove;

(o) To approve proposals in respect of making capital investment within the approved financial estimates;

(p) To approve proposals for appointing bankers and auditors in respect of the State Authority; and

(q) To perform such other functions and carry out such duties, as assigned to it from time to time, or exercise any of the powers delegated to it by the Governing Council.

Functions and responsibility of chief executive officer of State Authority.

14. The Chief Executive Officer shall be the executive authority, for the purposes of this act and shall have the following functions, namely :—

(a) To prepare and submit, for the consideration of the Executive Committee, the five-year perspective plan and the Annual Skill Development Plan for the State;

(b) To propose regulations to be notified under Section 11 of the Act;

(c) To monitor the performance of Vocational Training Providers, Third Party Assessors or District Authorities and to take such remedial measures as required to be taken under the regulations for the effective implementation of the provisions of this Act.

(d) To recruit personnel on contract or otherwise, against approved posts;

(e) To enter into agreements for, and on behalf of, the State Authority in respect of leasing, hiring, or procurement of goods, services and properties and for collaboration with institutions of national or international repute engaged in skill development;

(f) To dispose off movable properties from time to time;

(g) To manage the administration of the State Authority and the District Authorities and to act as the disciplinary authority in respect of all persons employed on contract or otherwise therein;

(h) To receive loans, grants, gifts, donations, bequests, benefactions or transfers of movable or immovable properties, on behalf of State Authority, under the provisions of this Act and to enter into agreements for such purposes;

(i) To have custody of the funds of the State Authority;

(j) To prepare the financial estimates, prior to the commencement of each financial year and to sanction expenditure against available funds within the extent of delegation approved by the Executive Committee;

(k) To ensure the preparation and maintenance of the books of accounts and other relevant records;

(l) To ensure the preparation of the Annual Report and the Financial Statement of Accounts of each financial year for the consideration of the Executive Committee;

(m) To represent the State Authority, as its recognized agent for all purposes under this Act including in respect of any proceeding, before any court or quasi-judicial authority;

(n) To convene meetings of the Governing Council or Executive Committee, as the case may be; and

(o) Without prejudice to any other provisions of this Act, the Chief Executive Officer shall exercise such other powers and perform such other functions, as may be delegated by the Governing Council or the Executive Committee necessary for carrying out the day to day administration of the State Authority or the District Authority.

15. The District Authority shall meet at least once in a month and shall have the following functions and responsibilities, namely :— **Functions and responsibility of the District Authority.**

(a) To prepare the Annual Skill Development Programme for the district and make it available to the Chief Executive Officer for preparing the Annual Skill Development Plan of the State Authority;

(b) To publish, in consultation with the State Authority, a list of skill development training opportunities available in the district and the minimum number of trainees required before the training may commence;

(c) To monitor and supervise training for skill development by Vocational Training Providers situated in the district and to take such remedial meansures as are necessary for the effective implementation of the provisions of this Act;

(d) To receive loans, grants, gifts, donations, bequests, benefactions or transfers of movable or immovable properties under the provisions of this Act;

(e) To ensure the preparation and maintenance of the books of accounts, and other relevant records;

(f) To ensure the preparation of the Annual Report and the Financial Statement of Accounts of each financial year and submit the same to the Chief Executive Officer;

(g) To identify and pool all resources available within the district, as may be reqired, for skill development activities therein; and

(h) To make reports, with such periodicity as may be directed by the Chief Executive Officer, on the status of skill development activities of Vocational Training Providers, Third Party Assessors and the Youth enrolled for development of skills within the district.

16. The quorum for the meetings of the Governing Council, the Executive Committee and the District Authority shall be one third of the total membership not including the special invitees. **Quorum for meetings of the Governing Council, the Executive Committee and the District Authority.**

CHAPTER-IV
GRIEVANCE REDRESSAL MACHANISM

17. (1) An applicant for skill development or a youth enrolled for skill development aggrieved by a decision, an order or an action on the part of a District Authority or an Officer designated by the State Authority under sub-section (1) of Section 4 or the Vocational Training Provider may make a representation before an authority, to be specified in the regulations, within a period of 30 days of such decision or order or an action, as the case may be, and the authotiry shall proceed to hear and make a decision on the representation within a futher period of 60 days, and, where the applicant or the youth enrolled for skill development, as the case may be, is not satisfied with the decision on the representation may prefer a second representation for review within a period of 45 days of the decision and a reviewing authority, to be specified in the regulations, shall proceed to hear the grievance and take an appropriate decision in the matter within a period of 90 days, and the decision of the reviewing authority shall be final. **Redressal of grievances and review.**

(2) A Vocational Training Provider or a Third Party Assessor aggrieved by a decision or an order or an action on the part of the Chief Executive Officer or a

District Authority, as the case may be, may make a representation before an authority to be specified in the regulations within a period of 30 days of such decision or order or action, as the case may be, and the authority shall proceed to hear and make a decision on the representation within a further period of 60 days, and, where the Vocational Training Provider or the Third Party Assessor, as the case may be, is not satisfied with the decision on the representation, may prefer a second representation for review within a period of 45 days of the decision and a reviewing authority, to be specified in the regulations, shall proceed to hear the grievance and make an appropriate decision in the matter within a period of 90 days, and the decision of the reviewing authority shall be final.

CHAPTER-V
FINANCES

State skill development fund. 18. There shall be a State Skill Development Fund, to be maintained and operated by the State Authority in the manner specified by regulations in this regard, for the purposes of implementation of the provisions of this Act and which shall be credited by money received from or by the following, namely :—

(a) The Central Government;

(b) The State Government;

(c) Loans, as authorized by the State Government;

(d) Gifts, donations, bequests, benefactions or transfers received under the provisions of this Act; and

(e) Any fee collected by the State Authority.

District skill develop-ment fund. 19. There shall be a District Skill Development Fund, to be maintained and operated by the District Authority in the manner specified by regulations in this regard, for the purposes of implementation of the provisions of this Act and which shall be credited by money received from or by the following, namely :—

(a) The Central Government;

(b) The State Government;

(c) Loans, as authorized by the State Government;

(d) Gifts, donations, bequests, benefactions or transfers received under the provisions of this Act; and

(e) Transfers from the State Authority.

Audit of the state and district skill development funds. 20. The State Authority and District Authority in each district shall :—

(a) Maintain proper accounts including the balance sheets and other relevant records, prepare an annual financial statement of accounts which shall be audited by the Examiner of Local Fund Audit of the State or such person(s) authoritzed by it;

(b) The Examiner of the Local Fund Audit or any person authorized by him in connection with the audit of the accounts of the State Authority or District Authority, as the case may be, shall have the same rights, privileges and authorities in connection with such audit as the Examiner of the Local Fund Audit has in connection with the audit of the accounts of local bodies, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers, other documents and papers and to inspect the offices of the State Authority or the District Authority in each district, as the case may be;

(c) These accounts, as certified by the Examiner of the Local Fund Audit or any other person authorized by him in this behalf, together with the audit report thereon, shall be forwarded annually to the State Government and State Government shall cause the same to be laid before the State Legislative Assembly; and

(d) The State Authority and District Authority in each district may appoint statutory auditor for audit of its accounts without derogating clause (b) and (c) of this Section.

CHAPTER-VI
MISCELLANEOUS

21. The State Authority shall maintain and periodically publish on its website a directory of skilled persons in the State. **Directory of skilled persons.**

22. Where there is absence or deficit of certain skills within the State and in the opinion of the State Government such skills are required to be imparted to youth in the public interest and for which no Vocational Training Provider is available within the State, it may, on the recommendation of the State Authority, identify an appropriate Vocational Training Provider situated outside the State and thereafter the State Authority shall notify such skills as well as the identified Vocational Training Provider and shall proceed to make appropriate arrangements for skill development of eligible youth. **Notification of Vocational Training Provider situated outside the State.**

23. The State Authority shall enter into collaboration with agencies or institutions including universities for research and development in training for skills. **Research and development in skills.**

24. The State Government and the State Authority shall encourage voluntary participation of Industries in development of skills amongst the youth of the State. **Collaboration with industries.**

25. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government, or any officer or other employee of the Government, or any authority constituted under this Act, or any member, officer or other employee of such authority or authoriteis in respect of anything which is done or intended to be done in good faith in pursuance of this Act or the rules, regulations made, or the orders or directions issued, thereunder. **Protection of acts done in good faith.**

26. (1) Unless otherwise specified by notification by the State Government, the provisions of the Chhattisgarh Civil Sewa (Samvida Niyukti) Niyam, 2012 shall apply, mutatis mutandis, to contractual employment under the State Authority or the District Authority, as the case may be. **Applicability of certain rules and laws.**

(2) Unless otherwise specified by notification by the State Government, the provisions of the Chhattisgrah Store Purchase Rules, 2002, as amended from time to time, or any law made by the State Legislature for the time being in force in this regard, shall apply, mutatis mutandis, on the State Authority or the District Authority, as the case may be.

27. (1) The State Government shall have the powers to make rules to carry out the purposes of this Act. **Power to make rules and regulations.**

(2) The State Authority shall have the powers to make regulations, subject to the provisions of this Act, to carry out the purposes thereof.

(3) Every rule or regulation made under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the House agrees in making any modification or the House agrees that the rule or regulation, as the case may be, should not be made, the rule or regulation, as the case may be, shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under the rule or regulation, as the case may be.

SCHEDULE

[See Section 4(1)]

APPLICATION FOR SKILL DEVELOPMENT

(Applicant to fill in as many details as known to him)

Please affix your current passport size photo

- Date of Submission of Application to the District Authority : ....
- Name of the District : ....

Personal Details :

1. Name of Applicant : ....
2. Father's/Husband's Name : ....
3. Mother's Name : ....
4. Gender (Male/Female) : ....
5. Age (In Years and Months) : ....
6. Date of Birth : Date ....Month ....Year..............
7. Whether Resident of Chhattisgarh State (Yes/No) : ....
8. Category (SC/ST/OBC/Unreserved) : ....
9. Religion : ....
10. Whether Differently abled Person (if Yes, mention the type) : ....
11. Marital Status (Married/Unmarried) : ....
12. Whether Belongs to BPL Category (Yes/No) : ....
13. Employment Exchange Registration No. (if any) : ....
14. Aadhaar Card No. (if any) : ....
15. Whether Beneficiary of any Scheme of any Department/Board etc. (if Yes, please mention name of the Department/Board etc.) : ....
16. Languages Known : ....
17. Permanent Address : ....

   ....

   Village/City..

   Ward No./Gram Panchayat ....

   Block .... District ....

   State .... Pin Code..............................

18. Address for Correspondence : ....
....
Village/City..
Ward No./Gram Panchayat ....
Block .... District ....
State .... Pin Code............................

19. Telephone No. for Contact (if any) : ....

20. Mobile No. for Contact (if any) : ....

21. E-mail (if any) : ....

22. Occupation of the Applicant : ....

23. Family Occupation : ....

24. Annual Income of the Family : ....

25. **Academic Qualification :**

Name of Examination	Year of Passing	Name of Board/ University	Percentage of Marks or Grade
5th Standard			
8th Standard			
10th/Matriculation			
12th/Higher Secondary			
Graduation			
Post Graduation			
Other			

26. **Technical/Professional Qualification :** Vocational Education and Training/ITI/Diploma/Engineering/Management/Medical and Nursing/Pharmacy/Other

S. No.	Qualification	Trade/Branch/ Stream	Name of Board/ University	Duration (In Years)	Year of Passing	Percentage of Marks or Grade

27. **Details of Skills Already Acquired :**

S. No.	Details of Skills	Sector	Name of Equivalent MES Course	Whether having a Certificate (Yes/No)	Skills Gained Formally/ Informally/Traditionally/ Inheritance	Formal Skill Training Duration

28. **Work Experience :**

Nature of Occupation	Sector of Occupation	Designation (If Any)	Duration of Experience (In Years)	Monthly Income (In Rupees)

29. **Details of Skill Training Required by the Applicant :**

a. Name of Sector in which Skill Training required : ....

b. Name of MES Course (if known) : ....

c. MES Course Code (if known) : ....

d. Whether willing to get Skill Training outside the District (Yes/No) : ....

30. If the Applicant has already undergone in any Skill Training then its details :—

S. No.	Sector	Name of the Course/ MES Course	Name of the District	Name of the VTP	Beginning Date of Training	End Date of Training	Result (Pass/Fail)	Certificate Received (Yes/No)

* VTP means Vocational Training Provider.

* MES means Modular Employable Skills.

Date :

Signature of Applicant

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 229] रायपुर, सोमवार, दिनांक 13 अप्रैल 2015— चैत्र 23, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2015

क्रमांक 3292/डी. 127/21-अ/प्रारू./छ. ग./15.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनाँक 30-03-2015 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 12 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2015

छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 17 सन् 2013) को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 17 सन् 2013) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 के खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् -

"(छछ) "लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) के अधीन पंजीकरण क्र. 4804, दिनांक 14 जुलाई 2014 के द्वारा पंजीकृत सोसायटी एवं इसमें इसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे;"

धारा 7 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 7 में -

(एक) खण्ड (क) के उप-खण्ड (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(5) राज्य शासन के कृषि, पशुपालन, उर्जा, वित्त, वन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, वाणिज्य एवं उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, श्रम, खनिज, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामोद्योग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास, स्कूल शिक्षा, समाज कल्याण, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, पर्यटन, नगरीय प्रशासन, एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के भारसाधक सचिव, चाहे किसी भी पदनाम से जाने जायें, (पदेन) सदस्य होंगे;"

(दो) खण्ड (क) के उप-खण्ड (5) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(5क) लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (पदेन) सदस्य होगा;"

(तीन) खण्ड (ख) के उप-खंड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(1) उद्योग, व्यवसाय एवं वाणिज्य, कौशल विकास तथा आजीविका कार्यक्रम क्षेत्रों से चार विख्यात व्यक्ति, जिनमें से:

- एक महिला होगी, और
- एक राज्य का होगा;"

(चार) खण्ड (ख) के उप-खण्ड (2) और (3) को विलोपित किया जाये.

(पांच) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(ग) राज्य विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट दो सदस्य, (पदेन) सदस्य होगा."

4. मूल अधिनियम की धारा 8 के खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :- धारा 8 का संशोधन.

"(गग) लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (पदेन) सदस्य होगा;"

5. मूल अधिनियम की धारा 9 में - धारा 9 का संशोधन.

(एक) खण्ड (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(3) सहायक संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (जिला प्रभारी) या जिला प्राधिकरण का जिला कौशल विकास अधिकारी, (पदेन) सदस्य-सचिव होगा:

परन्तु यह कि उक्त दोनों ही पदों में मृत्यु, पदत्याग, अवकाश या रूग्णता के कारण या अन्यथा रिक्ति होने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, उक्त पदों में से किसी भी एक पद पर अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक, जिला कलेक्टर, राज्य शासन या उसकी किसी एजेन्सी के किसी अधिकारी को सदस्य-सचिव के कृत्य सौंप सकेगा;"

(दो) खण्ड (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(3क) जिले में स्थित प्रत्येक लाईवलीहुड कॉलेज का प्राचार्य या सहायक परियोजना अधिकारी, (पदेन) सदस्य होगा;"

6. मूल अधिनियम की धारा 12 में- धारा 12 का संशोधन.

(एक) खण्ड (छ) में, शब्द तथा विराम चिन्ह "जैसा कि आवश्यक हो;" के पश्चात्, शब्द "तथा" को विलोपित किया जाये.

(दो) खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(छछ) इस अधिनियम के प्रयोजनों से अनसंगत ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना, जिसे राज्य शासन द्वारा उसे सौंपा गया हो; और"

7. मूल अधिनियम की धारा 13 में - धारा 13 का संशोधन.

(एक) खण्ड (त) में, शब्द तथा विराम चिन्ह "प्रस्तावों का अनुमोदन करना;" के पश्चात्, शब्द "तथा" को विलोपित किया जाये.

(दो) खण्ड (त) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(तत) इस अधिनियम के प्रयोजनों से अनसंगत ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना, जिसे राज्य शासन द्वारा उसे सौंपा गया हो; और"

8. मूल अधिनियम की धारा 14 में - धारा 14 का संशोधन.

(एक) खण्ड (ढ) में, शब्द "तथा" को विलोपित किया जाये.

(दो) खण्ड (ढ) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(ढढ) इस अधिनियम के प्रयोजनों से अनसंगत ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना, जिसे राज्य शासन द्वारा उसे सौंपा गया हो; और"

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2015

क्रमांक 3292/डी. 127/21-अ/प्रारू./छ. ग./15.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13-04-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 12 of 2015)

CHHATTISGARH RIGHT OF YOUTH TO SKILL DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT, 2015

An Act to amend the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (No. 17 of 2013).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. After clause (g) of Section 2 of the Chhattisgarh Right of Youth to SKill Development Act, 2013 (No. 17 of 2013), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be inserted, namely :-

"(gg) "Livelihood College Society" means the society registered under the Chhattisgarh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973), vide registration No. 4808, dated 14th July, 2014, and shall include its successors;"

Amendment of Section 7.

3. In Section 7 of the Principal Act-

(i) For sub-clause (5) of clause (a), the following shall be substituted, namely :-

"(5) Secretaries to the State Government, by whatever designation called, in-charge of the Departments of Agriculture, Animal Husbandry, Energy, Finance, Forest, Public Health and Family Welfare, Medical

Education, Higher Education, Commerce and Industry, Electronics and Information Technology, Labour, Mining, Panchayat and Rural Development, Rural Industries, Scheduled Tribes and Scheduled Castes Development, School Education, Social Welfare, Technical Education, Manpower Planning, Tourism, Urban Administration, and Woman and Child Development, shall be members (ex-officio);"

(ii) After sub-clause (5) of clause (a), the following shall be inserted, namely :-

"(5A) Chief Executive Officer of the Livelihood College Society shall be a member (ex-officio);"

(iii) For sub-clause (1) of clause (b), the following shall be substituted, namely :-

"(1) Four persons of eminence with background in industry, trade and commerce, skill development and livelihood programmes, among whom:

- one shall be a woman, and
- one shall be from the State;"

(iv) Sub-clause (2) and (3) of clause (b) shall stand omitted.

(v) For clause (c), the following shall be substituted, namely :-

"(c) Two members of the State Legislative Assembly nominated by the Speaker shall be members (ex-officio)."

4. After clause (c) of Section 8 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:- **Amendment of Section 8.**

"(cc) Chief Executive Officer of the Livelihood College Society shall be a member (ex-officio);"

5. In Section 9 of the Principal Act- **Amendment of Section 9.**

(i) For clause (3), the following shall be substituted, namely :-

"(3) Assistant Director, Chhattisgarh State Skill Development Authority (district in charge), or the District Skill Development Officer of the District Authority, shall be the Member-Secretary (ex-officio):

Provided that in the event of any vacancy, including a temporary vacancy, in both the said posts, by reason of death, resignation, leave or illness, or otherwise, the District Collector may entrust to any officer of the State Government or of any agency thereof, the functions of the Member-Secretary, till the date on which an officer enters upon either of the said posts;"

(ii) After clause (3), the following shall be inserted, namely:-

"(3A) Principal or Assistant Project Officer of each of the Livelihood Colleges situated in the district shall be a members (ex-officio);"

6. In Section 12 of the Principal Act- **Amendment of Section 12.**

(i) In clause (g), after the words and punctuation "purposes of this Act;", the word "and" shall stand deleted.

(ii) After clause (g), the following shall be inserted, namely :-

"(gg) To perform such other functions, not being inconsistent with the purposes of this Act, as assigned to it by the State Government; and"

Amendment of Section 13.

7. In Section 13 of the Principal Act-

(i) In clause (p), after the words and punctuation "in respect of the State Authority;", the word "and" shall stand deleted.

(ii) After clause (p), the following shall be inserted, namely:-

"(pp) To perform such other functions, not being inconsistent with the purposes of this Act, as assigned to it by the State Government; and"

Amendment of Section 14.

8. In Section 14 of the Principal Act-

(i) In clause (n), the word "and" shall stand deleted.

(ii) After clause (n), the following shall be inserted, namely :-

"(nn) To perform such other functions, not being inconsistent with the purposes of this Act, as assigned to him by the State Government; and"

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 229] रायपुर, सोमवार, दिनांक 13 अप्रैल 2015— चैत्र 23, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2015

क्रमांक 3292/डी. 127/21-अ/प्रारू./छ. ग./15.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनाँक 30-03-2015 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 12 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2015

छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 17 सन् 2013) को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 17 सन् 2013) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 के खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् -

"(छछ) "लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) के अधीन पंजीकरण क्र. 4804, दिनांक 14 जुलाई 2014 के द्वारा पंजीकृत सोसायटी एवं इसमें इसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे;"

धारा 7 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 7 में -

(एक) खण्ड (क) के उप-खण्ड (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(5) राज्य शासन के कृषि, पशुपालन, उर्जा, वित्त, वन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, वाणिज्य एवं उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, श्रम, खनिज, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामोद्योग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास, स्कूल शिक्षा, समाज कल्याण, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, पर्यटन, नगरीय प्रशासन, एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के भारसाधक सचिव, चाहे किसी भी पदनाम से जाने जायें, (पदेन) सदस्य होंगे;"

(दो) खण्ड (क) के उप-खण्ड (5) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(5क) लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (पदेन) सदस्य होगा;"

(तीन) खण्ड (ख) के उप-खंड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(1) उद्योग, व्यवसाय एवं वाणिज्य, कौशल विकास तथा आजीविका कार्यक्रम क्षेत्रों से चार विख्यात व्यक्ति, जिनमें से:
- एक महिला होगी, और
- एक राज्य का होगा;"

(चार) खण्ड (ख) के उप-खण्ड (2) और (3) को विलोपित किया जाये.

(पांच) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(ग) राज्य विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट दो सदस्य, (पदेन) सदस्य होगा."

4. मूल अधिनियम की धारा 8 के खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :- धारा 8 का संशोधन.

"(गग) लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (पदेन) सदस्य होगा;"

5. मूल अधिनियम की धारा 9 में - धारा 9 का संशोधन.

(एक) खण्ड (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(3) सहायक संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (जिला प्रभारी) या जिला प्राधिकरण का जिला कौशल विकास अधिकारी, (पदेन) सदस्य-सचिव होगा:

परन्तु यह कि उक्त दोनों ही पदों में मृत्यु, पदत्याग, अवकाश या रूग्णता के कारण या अन्यथा रिक्ति होने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, उक्त पदों में से किसी भी एक पद पर अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक, जिला कलेक्टर, राज्य शासन या उसकी किसी एजेन्सी के किसी अधिकारी को सदस्य-सचिव के कृत्य सौंप सकेगा;"

(दो) खण्ड (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(3क) जिले में स्थित प्रत्येक लाईवलीहुड कॉलेज का प्राचार्य या सहायक परियोजना अधिकारी, (पदेन) सदस्य होगा;"

6. मूल अधिनियम की धारा 12 में- धारा 12 का संशोधन.

(एक) खण्ड (छ) में, शब्द तथा विराम चिन्ह "जैसा कि आवश्यक हो;" के पश्चात्, शब्द "तथा" को विलोपित किया जाये.

(दो) खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(छछ) इस अधिनियम के प्रयोजनों से अनसंगत ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना, जिसे राज्य शासन द्वारा उसे सौंपा गया हो; और"

7. मूल अधिनियम की धारा 13 में - धारा 13 का संशोधन.

(एक) खण्ड (त) में, शब्द तथा विराम चिन्ह "प्रस्तावों का अनुमोदन करना;" के पश्चात्, शब्द "तथा" को विलोपित किया जाये.

(दो) खण्ड (त) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(तत) इस अधिनियम के प्रयोजनों से अनसंगत ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना, जिसे राज्य शासन द्वारा उसे सौंपा गया हो; और"

8. मूल अधिनियम की धारा 14 में - धारा 14 का संशोधन.

(एक) खण्ड (ढ) में, शब्द "तथा" को विलोपित किया जाये.

(दो) खण्ड (ढ) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(ढढ) इस अधिनियम के प्रयोजनों से अनसंगत ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना, जिसे राज्य शासन द्वारा उसे सौंपा गया हो; और"

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2015

क्रमांक 3292/डी. 127/21-अ/प्रारू./छ. ग./15.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13-04-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 12 of 2015)

CHHATTISGARH RIGHT OF YOUTH TO SKILL DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT, 2015

An Act to amend the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (No. 17 of 2013).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. After clause (g) of Section 2 of the Chhattisgarh Right of Youth to SKill Development Act, 2013 (No. 17 of 2013), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be inserted, namely :-

"(gg) "Livelihood College Society" means the society registered under the Chhattisgarh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973), vide registration No. 4808, dated 14th July, 2014, and shall include its successors;"

Amendment of Section 7.

3. In Section 7 of the Principal Act-

(i) For sub-clause (5) of clause (a), the following shall be substituted, namely :-

"(5) Secretaries to the State Government, by whatever designation called, in-charge of the Departments of Agriculture, Animal Husbandry, Energy, Finance, Forest, Public Health and Family Welfare, Medical

Education, Higher Education, Commerce and Industry, Electronics and Information Technology, Labour, Mining, Panchayat and Rural Development, Rural Industries, Scheduled Tribes and Scheduled Castes Development, School Education, Social Welfare, Technical Education, Manpower Planning, Tourism, Urban Administration, and Woman and Child Development, shall be members (ex-officio);"

(ii) After sub-clause (5) of clause (a), the following shall be inserted, namely :-

"(5A) Chief Executive Officer of the Livelihood College Society shall be a member (ex-officio);"

(iii) For sub-clause (1) of clause (b), the following shall be substituted, namely :-

"(1) Four persons of eminence with background in industry, trade and commerce, skill development and livelihood programmes, among whom:

- one shall be a woman, and
- one shall be from the State;"

(iv) Sub-clause (2) and (3) of clause (b) shall stand omitted.

(v) For clause (c), the following shall be substituted, namely :-

"(c) Two members of the State Legislative Assembly nominated by the Speaker shall be members (ex-officio)."

4. After clause (c) of Section 8 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:- **Amendment of Section 8.**

"(cc) Chief Executive Officer of the Livelihood College Society shall be a member (ex-officio);"

5. In Section 9 of the Principal Act- **Amendment of Section 9.**

(i) For clause (3), the following shall be substituted, namely :-

"(3) Assistant Director, Chhattisgarh State Skill Development Authority (district in charge), or the District Skill Development Officer of the District Authority, shall be the Member-Secretary (ex-officio):

Provided that in the event of any vacancy, including a temporary vacancy, in both the said posts, by reason of death, resignation, leave or illness, or otherwise, the District Collector may entrust to any officer of the State Government or of any agency thereof, the functions of the Member-Secretary, till the date on which an officer enters upon either of the said posts;"

(ii) After clause (3), the following shall be inserted, namely:-

"(3A) Principal or Assistant Project Officer of each of the Livelihood Colleges situated in the district shall be a members (ex-officio);"

6. In Section 12 of the Principal Act- **Amendment of Section 12.**

(i) In clause (g), after the words and punctuation "purposes of this Act;", the word "and" shall stand deleted.

(ii) After clause (g), the following shall be inserted, namely :-

"(gg) To perform such other functions, not being inconsistent with the purposes of this Act, as assigned to it by the State Government; and"

Amendment of Section 13.

7. In Section 13 of the Principal Act-

(i) In clause (p), after the words and punctuation "in respect of the State Authority;", the word "and" shall stand deleted.

(ii) After clause (p), the following shall be inserted, namely:-

"(pp) To perform such other functions, not being inconsistent with the purposes of this Act, as assigned to it by the State Government; and"

Amendment of Section 14.

8. In Section 14 of the Principal Act-

(i) In clause (n), the word "and" shall stand deleted.

(ii) After clause (n), the following shall be inserted, namely :-

"(nn) To perform such other functions, not being inconsistent with the purposes of this Act, as assigned to him by the State Government; and"

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.